

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी करौली

क्रमांक:-संस्थापन/2020/

दिनांक:-

आदेश

नोबल कोरोना (COVID - 19) वायरस संक्रमण एक विश्व व्यापी महामारी को मध्येनजर रखते हुये भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा उक्त वायरस के संक्रमण के बचाव हेतु कोरोना वायरस के संक्रमण के संदिग्ध व्यक्तियों की सूचनाओं के सम्प्रेषण हेतु उपखण्ड कार्यालय करौली के कमरा नं० 3 में तुरन्त प्रभाव से नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाता है। नियंत्रण कक्ष के प्रभारी श्री दिनेश चन्द मीना नायब तहसीलदार होंगे, जिनका मोबाईल नम्बर 8209105438 है। नियंत्रण कक्ष 24x7 अनवरत कार्यरत रहेगा। नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नं० 07464-250025 रहेगा। नियंत्रण कक्ष में निम्नानुसार कार्मिकों को लगाया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह अपनी उपस्थिति आज ही दिया जाना सुनिश्चित करें।

प्रथम पारी		प्रातः 6.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक	
1	श्री मनीष कुमार महेरा व्याख्याता	रा०उ०मा०वि० रघुवंशी	बुधवार को अवकाश रहेगा
2	श्री रामफल मीना व०अ०	रा०उ०मा०वि० खुण्डा	
3	श्री प्रदीप कुमार भारद्वाज अध्यापक	रा०उ०मा०वि० बुगडार	
द्वितीय पारी		दोपहर 2.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक	
1	श्री विजय कुमार शर्मा व्याख्याता	रा०उ०मा०वि० रौडकला	शुक्रवार को अवकाश रहेगा
2	श्री मोहन चन्द शर्मा व०अ०	रा०उ०मा०वि० महोली	
3	श्री राजाराम शर्मा अध्यापक	रा०मा०वि० चरीका हार	
तृतीय पारी		रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक	
1	श्री रामविलास जाटव व्याख्याता	रा०उ०मा०वि० खुण्डा	रविवार को अवकाश रहेगा
2	श्री मकरन्द तिवारी व०अ०	रा०उ०मा०वि० गुनेसरा	
3	श्री धर्मेन्द्र जोशी अध्यापक	रा०उ०मा०वि० लोहरा	
रिजर्व पारी			
1	श्री रामकुमार जाटव व्याख्याता	रा०उ०मा०वि० करौली	
2	श्री रामराज बैरवा व०अ०	रा०उ०मा०वि० रामपुर धाबाई	
3	श्री मुकेश चन्द गुप्ता प्रबोधक	रा०प्रा०वि० डहर	

1. जान बूझकर उक्त आदेशों की अवज्ञा की दशा में आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत कार्मिक/व्यक्ति के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी, जिसमें एक वर्ष तक सिविल कारावास अथवा शास्ति आरोपित की जा सकती है, साथ ही सीसीए नियमों के तहत भी समानान्तर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।
2. उक्त कार्मिक प्रतिदिन अपनी रिपोर्ट प्रभारी नियंत्रण कक्ष को देंगे।
3. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पारी में नियुक्त कार्मिकों को क्रमशः बुधवार, शुक्रवार व रविवार का साप्ताहिक अवकाश देय होगा। उक्त अवकाश की अवधियों में रिजर्व पारी में नियुक्त कार्मिकों द्वारा कार्य किया जावेगा।

**हस्ताक्षर:- तहसीलदार करौली न मासलपुर में स्थापित
उपखण्ड के ही कमरे में**

**देवेन्द्र सिंह परमार)
(उपखण्ड अधिकारी
करौली**

क्रमांक:-सम/ 1558-1502

दिनांक:- 21.03.2020

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, करौली।
2. श्रीमान् मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी करौली को प्रेषित कर निवेदन है कि सम्बंधित कार्मिकों को आज ही इस कार्यालय में उपस्थिति देने हेतु पाबन्द करें।
3. उप अधीक्षक पुलिस वृत्त करौली/कैलादेवी
4. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यम/प्रा० शिक्षा करौली को उक्तानुसार कार्मिक भिजवाने हेतु।
5. तहसीलदार करौली/मासलपुर
6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प०स० करौली/सपोटरा/मण्डरायल को प्रेषित कर लेख है कि सम्बंधित कार्मिकों को आज ही इस कार्यालय में उपस्थिति देने हेतु पाबन्द करें।
7. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी करौली ।
8. प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक
9. सम्बंधित कार्मिक श्री को पालनार्थ।

**उपखण्ड अधिकारी
करौली**